धारा-2[92क. अमीन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति.- (1) किसी सहकारी समिति को देय किसी धनराशि की वसूली के लिये या धारा 92 के खण्ड(क) या खण्ड(ख) के अधीन किसी अभिनिर्णय, आदेश या वसूली के लिये प्रमाण-पत्र के निष्पादन की कार्यवाही में निर्गत किसी आदेशिका के निष्पादन के लिये उतनी संख्या में अमीन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी जितनी समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाये।

(2) राज्य सरकार, नियमों द्वारा अमीनों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकती है।

----

1. अधिनियम सं0 17 सन् 1994 द्वारा बढाया गया (15.7.94)।

2. नई धारा 92-क और 92-ख उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 सन् 2003 द्वारा अधिसूचना सं0 1822/सात-वि-1-1 (क)-33-2002 दिनांक 17 दिसम्बर, 2003 द्वारा बढायी गयी तथा अध्यादेश संख्या 18 सन् 2002 निरस्त किया गया जो उ0 प्र0 असाधारण गजट भाग-1 खण्ड(क) दिनांक 17 दिसम्बर, 2003 को प्रकाशित हुआ (28 अक्टूबर 2002 से प्रभावी)।